

गव्य प्रक्षेत्र

राज्य योजना (चालू योजना)

1. लाभकोन्मुखी कार्यक्रम (मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना) - राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को सुधार करने तथा ग्रामीण स्तर पर युवाओं को स्व-नियोजित कर आत्मनिर्भर बनाने एवं उनके पलायन को रोकने के उद्देश्य से पशुधन विकास के लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अन्तर्गत पशुपालन एवं गव्य विकास निदेशालय, ग्रामीण विकास (JSLPS, MGNREGA & RURBAN) तथा कल्याण विभाग द्वारा कई प्रकार की लाभकोन्मुखी योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन सभी विभागों द्वारा कार्यान्वित लाभकोन्मुखी योजनाओं के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधन का अभिसरण (Convergence) करते हुए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अन्तर्गत गव्य विकास प्रक्षेत्र की लाभकोन्मुखी कार्यक्रमों को शामिल किया गया है।

(i) दो दुधारू गाय वितरण - यह कार्यक्रम ग्रामीण गरीबी उन्मूलन तथा अतिरिक्त घरेलू आमदनी के सृजन कर ग्रामीण परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित हो सकता है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के आपदा/आगलगी से प्रभावित परिवार की महिला/सड़क दुर्घटना से प्रभावित परिवार की महिला/परित्यक्त महिला/दिव्यांग/विधवा महिला लाभकों के लिए 90 प्रतिशत अनुदान एवं शेष सभी महिला लाभकों के लिए 75 प्रतिशत अनुदान पर दो चरणों में 2 दुधारू गाय उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को जिन्होंने वर्ष 2025-26 एवं पूर्व के वर्षों में दुधारू गाय उपलब्ध कराया गया है, उन्हें द्वितीय चरण की गाय के लिए अनुदान राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) कामधेनु डेयरी फार्मिंग - वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं पूर्व के वर्षों में कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना अन्तर्गत 05/10/50 गाय/भैंस की योजना से लाभान्वित पशुपालकों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में द्वितीय चरण की गाय/भैंस उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2026-27 में कामधेनु डेयरी फार्मिंग अन्तर्गत व्यक्तिगत लघु उद्यमियों/युवा शिक्षित बेरोजगारों/स्वयं सहायता समूह के सदस्यों/प्रगतिशील पशुपालकों को अनुदान सह बैंक ऋण/लाभुक अंशदान (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दूध सहकारी समितियों के लिए 05/10/20 गाय/भैंस इकाई के लिये 75: अनुदान एवं 50 गाय/भैंस इकाई के लिये 33.33% अनुदान तथा अन्य सभी जातियों के लिए 05/10/20 गाय/भैंस इकाई के लिये 50: अनुदान एवं 50 गाय/भैंस इकाई के लिये 25% अनुदान) पर 6 माह के अंतराल पर दो चरणों में 05/10/20/50 इकाई के उन्नत नस्ल की दुधारू गाय/भैंस उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त, टाना भगत परिवार के सदस्यों को 4 दुधारू गाय के प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए 100% अनुदान राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

(iii) प्रगतिशील डेयरी कृषकों को सहायता अनुदान - राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गौ-पालन एवं दूध उत्पादन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस लाभकोन्मुखी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रगतिशील दूध उत्पादकों एवं डेयरी उद्यमियों, जो दुग्ध उत्पादन व्यवसाय से जुड़े हैं एवं जिनके पास डेयरी फार्मिंग हेतु बुनियादी सुविधा उपलब्ध है, को मुख्य रूप से उनके दुधारू पशुओं के लिए डेयरी फार्म का मशीनीकरण तथा दुग्ध विपणन इत्यादि हेतु सहायता उपलब्ध करायी जाएगी ताकि दूध उत्पादन के लागत मूल्य को कम करते हुए पशुपालकों को लाभान्वित कराया जा सके।

(iv) पशु आहार एवं चारा विकास योजना - इस योजना अन्तर्गत कामधेनु डेयरी फार्मिंग कार्यक्रम के तहत सम्मिलित होने वाले पशुपालकों तथा गव्य व्यवसाय से संलग्न अन्य व्यक्तिगतरूप से/लघु डेयरी उद्योगों/युवा शिक्षित बेरोजगारों/स्वयं सहायता समूह के सदस्यों/प्रगतिशील पशुपालकों में पशुपोषण जाति/अनुसूचित जनजाति/दूध सहकारी समितियों के लिए 90% अनुदान तथा अन्य सभी जातियों के लिए 75% अनुदान पर हरा चारा बीज पैकेट उपलब्ध कराये जाएंगे। इसके अतिरिक्त पशुपालकों के आधार पर एक/एक निजी भूमि पर हरा चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन हेतु इस योजनान्तर्गत पशुपालकों को सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

(v) टेक्निकल इनपुट सामग्री का वितरण - राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गौ-पालन एवं दूध उत्पादन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालकों को अनुदानित दर पर तकनीकी इनपुट सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। उक्त योजना के अंतर्गत दुग्धार पशुओं के लिए अनुदानित दर पर तकनीकी इनपुट सामग्री (संतुलित पशु आहार, मिनरल मिक्सचर) तथा पशु स्वास्थ्य संबंधित किट (डीवॉर्मर, पाचक, थनदाहक, दवाएं एवं बर्तन सैनीटाइजर इत्यादि) का वितरण किया जाएगा। झारखण्ड मिल्क फेडरेशन से संबद्ध दुग्ध उत्पादकों, प्रगतिशील दूध उत्पादकों एवं गव्य विकास योजना से जुड़े पशुपालकों को इस कार्यक्रम से लाभान्वित कराया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के जिलों द्वारा राज्य के सभी जिलों में किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन में राज्य के प्रगतिशील दूध उत्पादकों एवं गव्य विकास योजना से जुड़े पशुपालकों को लाभान्वित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अन्तर्गत तकनीकी इनपुट सामग्रियों के लिए पशुपालकों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 90 या 75% तथा अन्य सभी जातियों के लिए 75 या 50% अनुदान राशि उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त फ्लडरफीड संतुलित पशु आहार, मिनरल मिक्सचर एवं पशु स्वास्थ्य संबंधित किट के वितरण से पशुओं के काफी वृद्धि की संभावना है। इसके अतिरिक्त हरा चारा विकास कार्यक्रम के तहत अनुदानित दर पर प्रगतिशील पशुपालकों को विभिन्न प्रकार के हरा चारा बीज का वितरण करने का भी प्रावधान प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपरोक्त लाभकारी कार्यक्रमों के लिये 20605.00 लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।

2. टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम (नस्ल सुधार एवं उत्पादकता वृद्धि) - दुग्ध पशुओं की उत्पादकता वृद्धि हेतु राज्य योजना अन्तर्गत राज्य में उपलब्ध दुग्धार पशुओं (गाय एवं भैंस) के कृत्रिम गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार तथा उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। इस योजना के तहत नस्ल सुधार और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, 3000 AI सेंटरों को मजबूत किया जाएगा और राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में गव्य परियोजना के तहत GAU-GRAM नामक नई योजना लागू की जाएगी। GAU-GRAM में अच्छी सुविधाओं वाला AI सेंटर, बीमारियों की जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी, जो एक (हर राज्य विकास) केंद्र की गतिविधियों वाला होगा। इसके अतिरिक्त, इस योजनान्तर्गत झारखण्ड स्टेट एम्प्लॉयमेंट फंडिंग के पूर्व की देनदार (जैसे पैरा वेट के प्रशिक्षण हेतु राशि का प्रस्ताव है)।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के लिए 2500.00 लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।

3. प्रशिक्षण, प्रसार एवं कौशल विकास - राज्य को दूध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने तथा दूध उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से रोजगारपरक उद्यम कराकर पशुपालकों के आर्थिक उन्नयन हेतु विभिन्न प्रकार की रोजगारपरक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन पशुपालकों को लक्षित किया जा रहा है। पशुपालकों एवं मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के चयनित लाभार्थी को उन्नत नस्ल के दुग्ध पशुओं के रख-रखाव, एवं पोषण, रोग नियंत्रण, पशु नस्ल सुधार, पशु स्वास्थ्य तथा हर तरह दूध निर्माण आदि से संबंधित तकनीकी विकास हेतु राज्य के अन्दर स्थापित प्रशिक्षण एवं प्रसार संस्थानों में आवश्यक प्रशिक्षण तथा एक्सपोजर विजिटों से पशुपालकों को प्रशिक्षित एवं क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षित किया जायेगा। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को जागरूकता हेतु प्रचारात्मक कार्यक्रमों का आयोजन तथा योजनाओं की जानकारी हेतु लीफलेट, बुलेटिन इत्यादि का वितरण एवं दीवार लेखन कराया जायेगा।

इसके अतिरिक्त गव्य विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु इस के माध्यम से एक वर्षीय डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम तथा दो माह का अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन डेयरी फार्मिंग कार्यक्रम संचालित किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के लिए 2500.00 लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।

4. आधारभूत संरचना विकास (कार्यालय एवं अन्य संरचनाओं का जीर्णोद्धार) - इस योजना के तहत गव्य विकास निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के पुराने भवनों का पुनर्निर्माण तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं की मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं सुंदरीकरण का कार्य किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के लिए 900.00 लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।

5. परामर्शी एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं - परामर्शी एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के तहत इस योजना अन्तर्गत राज्य में चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बेंचमार्क सर्वे, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार किये जाने तथा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के स्थापना एवं संचालन आदि हेतु परामर्शी सेवाओं की प्राप्ति तथा परामर्शी शुल्क का भुगतान किया जायेगा। साथ ही, इस योजना अन्तर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं आदि प्राप्त करने हेतु राशि का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के लिए 150.00 लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।

6. दूध संग्रहण, वितरण एवं विपणन (झारखण्ड मिल्क फेडरेशन को अनुदान) - इस योजना के अन्तर्गत झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से दूध उत्पादन, संग्रहण, वितरण एवं विपणन संबंधी गतिविधियों का सुदृढीकरण तथा विस्तार प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित दूध की समुचित बिक्री व्यवस्था स्थापित करने तथा शहरी उपभोक्ताओं को निरंतर दूध एवं दूध उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड मिल्क फेडरेशन को सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त गिरिडीह एवं सरायकेला में 50 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता की नई डेयरी स्थापना राशि में 20 प्रतिशत वृद्धि तथा गिरिडीह एवं उच्च क्षमता के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना हेतु झारखण्ड मिल्क फेडरेशन को सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन नाबार्ड अन्तर्गत ग्रामीण अवसंरचना निधि (RIDF) से ऋण प्राप्त कर किया जायेगा।

इसके साथ ही, झारखण्ड डेयरी डेवलपमेंट प्लान अन्तर्गत सुपोषण मदों तथा अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी कार्यों का सम्पादन हेतु झारखण्ड मिल्क फेडरेशन से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के लिए 10530.00 लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।

7. दूध आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहन मूल्य - राज्य के ग्रामीण दूध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखण्ड मिल्क फेडरेशन द्वारा संचालित दूध संग्रहण व्यवस्था में शामिल ग्रामीण दूध आपूर्तिकर्ता सदस्यों को उनके द्वारा आपूर्ति किए गए दूध के लिए फेडरेशन द्वारा भुगतान की गयी राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रोत्साहन/समर्थन मूल्य राशि का भुगतान उनके निजी बैंक खातों में दीया जा रहा है। दूध उत्पादन हेतु इनपुट्स की बढ़ती लागत जैसे पशु आहार तथा दुग्ध पशुओं के रख-रखाव एवं रोग नियंत्रण पर व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण इस योजना के द्वारा दूध उत्पादन व्यवसाय से जुड़े पशुपालकों को काफी राहत मिलेगी।

वर्णित परिस्थिति में वित्तीय वर्ष 2026-27 में झारखण्ड मिल्क फेडरेशन द्वारा संचालित दूध संग्रहण व्यवस्था में शामिल दूध आपूर्तिकर्ता सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा प्रति लीटर 5 (पांच) रुपये प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन/समर्थन मूल्य राशि भुगतान करने का प्रस्ताव है। इस योजना से दूध उत्पादकों को संस्थागत दूध संग्रहण व्यवस्था में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के लिए 4015.00 लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।

8. आधारभूत संरचना विकास (कार्यालय एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण) - इस योजना के तहत भवनों, प्रशिक्षण केन्द्र, मॉडल डेयरी फार्म तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण का कार्य किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के लिए 900.00 लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।

केन्द्र प्रायोजित योजना

1. नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट - केन्द्र प्रायोजित नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट की योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप राज्य डेयरी विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। दुग्ध उत्पादन, संग्रहण, विधायन एवं विपणन के लिए आधारभूत संरचना का सृजन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना अन्तर्गत गुणवत्ता युक्त दूध संग्रहण, विधायन एवं विपणन के लिए आधारभूत संरचना के सृजन के साथ-साथ गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी आधारभूत संरचनाओं का सृजन झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से किये जाने का प्रस्ताव है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के लिए 400.00 लाख मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।